

# राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०

जी-१/१३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

## वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये ग्लोसाइन बोर्ड कार्य हेतु निविदा

मुद्रणालय को वर्ष 2017–18 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2018 तक) के लिए ग्लोसाइन बोर्ड कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड निर्माता/वास्तविक सामान के विक्रेताओं से सीलबंद टू बिड पद्धति से दिनांक 17.03.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिड दो बन्द लिफाफे में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र परिशिष्ट “अ” एवं (2) वित्तीय बिड प्रपत्र परिशिष्ट “ब” में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।

तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मोहरबन्द लिफाफे में अलग—अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी बिड के लिफाफे में बोली प्रतिभूति राशि एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय बिड के लिफाफे में निविदा की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। प्रथम लिफाफे पर वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए ग्लोसाइन बोर्ड कय हेतु “तकनीकी बिड” तथा द्वितीय लिफाफे पर वर्ष 2017–18 की अवधि में ग्लोसाइन बोर्ड कय हेतु “वित्तीय बिड” लिखा होना चाहिए। बिड निर्धारित बिड प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से “ग्लोसाइन बोर्ड कार्य हेतु बिड” लिखा जाकर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जी-१/१३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुये प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता का ही द्वितीय बिड का लिफाफा “वित्तीय बिड” को खोला जायेगा। बिड प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्तें इस मुद्रणालय की वेबसाईट [www.thecooperativepress.com](http://www.thecooperativepress.com) व [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। बिड प्रपत्र एवं शर्तें इस कार्यालय में रु. 500/- नकद/डी.डी. भेजकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त बिड्स में तकनीकी बिड के लिफाफों को दिनांक 17.03.2017 अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार हैं। **बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीको से जोकि राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं, द्वारा “राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०” के पक्ष में जमा करानी होगी। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि **मुद्रणालय में पूर्व वर्णित तरीको से** द्वारा जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामान के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।**

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2018 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र "अ"

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,  
जी-1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये ग्लोसाइन बोर्ड कार्य हेतु निविदा

1. निविदा प्रपत्र मूल्य 500.00 रुपये
2. निविदा प्राप्ति की दिनांक 17.03.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक
3. बिड खोलने की दिनांक 17.03.2017 को अपराह्न 3.00 बजे
4. बिड का अनुमानित मूल्य 9.00 लाख रुपये

1. बिडर का नाम व पूर्ण पता.....

बिडर फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय एवं कार्यशाला का पूर्ण पता .....

फोन नं. ....

ई-मेल ..... मोबाइल नं. ....

1. निविदा प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	प्रतिभूति – अनुमानित राशि 9.00 लाख रुपये का 2 प्रतिशत (18 हजार रुपये)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण .....
2	बोली प्रतिभूति राशि में लद्यु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लद्यु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत है। सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत (4500 रुपये) बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण .....
3	अधिकृत विक्रेता/अनुमोदित वितरक/वास्तविक विक्रेता होने का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।	
4	कार्य का नाम जिसके लिए प्रस्तावना की गई है (पूर्ण विवरण संलग्न करें)	
5	वैट रजिस्टेशन प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।	टिन नं./जी.एस.टी. नं.
6	बोलीदाता के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता	
7	बोलीदाता के पैन पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।	पैन नं.
8	वैट की निर्धारित दर	
9	बोलीदाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण (प्रपत्र संलग्न एस.आर. 11 के अनुसार)	

10	वैट चुकता का प्रमाण पत्र 30.09.2016 तक का संबंधित वाणिज्यकर अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ	
11	बिड के साथ ग्लोसाइन बोर्ड कार्य के नमूने संलग्न हैं (मोहर सहित)	
12	गत तीन वर्षों में किये गये कार्य का अनुभव का प्रमाण-पत्र	

बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

## बिडर द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त निविदा संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :—

- (1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड़स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
- (3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड़स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर बिडर

स्थान : .....

नाम.....

पद.....

पता.....

मो०नं०.....

प्रपत्र “ब”

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०  
जी-१ / १३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-३०२०१७  
फोन नं. ०१४१-२७५१४१७, २७५१३५२

## वित्तीय बिड

वर्ष 2017-18 की अवधि के लिये ग्लोसाइन बोर्ड आपूर्ति हेतु  
बिड प्रपत्र द्वितीय “वित्तीय बिड”

- बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता.....  
.....  
.....
- मुद्रणालय में विभिन्न प्रकार के लिफाफे सप्लाई करने हेतु हमारे द्वारा बिड में प्रस्तुत दरें निम्नानुसार है :—  
अनुमानित राशि 9.00 लाख रुपये (नौ लाख रुपये)

क्रमांक	विवरण	स्पेसिफिकेशन	यू.ओ.एम.	प्रस्तावित दर	
				अंकों में	शब्दों में
1	FLEX GLOW SIGN BOARD	<ul style="list-style-type: none"><li>PRINTING ON B/L FLEX OF STAR/LG OR EQUIVELENT BRAND OF 15 Oz.</li><li>SOLVANT PRINTING OF 4 PASS</li><li>1" SQUARE PIPE OF APPROX 3.5 KG OF 20 FT LENGTH.</li><li>28 GAUGE BACK SHEET (GI SHEET)</li><li>TUBE LIGHT SET OF ISI MARK AT EVERY 6 SQ. FT</li><li>INSTALLATION AS REQUIRED</li></ul>	PER SQ. FEET		
2	FRONT LIT FLEX WITH FRAME	<ul style="list-style-type: none"><li>PRINTING OF STAR/LG EQUIVELENT BRAND OF 9 Oz MEDIA.</li><li>SOLVENT PRINTING OF 3 PASS</li><li>FRAME OF 1" SQUARE PIPE OF 2.0 KG LENGTHS OF 20 FT. INSTALLATION WITH GI WIRE ON TOP AND BOTTOM</li></ul>	PER SQ. FEET		
3	STANDY WITH FLEX	<ul style="list-style-type: none"><li>ROLL UP STANDY 30"X80"</li><li>SOLVENT PRINTING OF FLEX OF 13 OZ</li><li>SUPPLY AT STORE</li></ul>	EACH		
4	FRONT LIT FLEX (BLACK BACK)	<ul style="list-style-type: none"><li>FLEX OF 280 GSM</li><li>3-4 PASS SOLVENT PRINTING</li></ul>	PER SQ.FEET		

- बिड प्रपत्र के साथ निविदा एवं संविदा की जो शर्तें संलग्न हैं, हमें स्वीकार हैं।
- राशि अंकों एवं शब्दों में सुस्पष्ट लिखी जावे।
- सभी दरें वैट रहित हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

## राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

### ग्लोसाइन बोर्ड कार्य हेतु निविदा शर्ते

**सूचना :** बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय बिड प्रपत्र एवं इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. मुद्रणालय को वर्ष 2017–18 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2018 तक) के लिये ग्लोसाइन बोर्ड कार्य हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से निविदा बंद लिफाफे में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 17.03.2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक प्रस्तुत किये जायेंगे (1) बिडर फर्म का जयपुर में कार्यालय एवं कार्यशाला होना अनिवार्य है।
2. सर्वप्रथम तकनीकी बिड को दिनांक 17.03.2017 को अपराह्न 3.00 बजे खोला जावेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड को खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा केवल उन्हीं फर्मों/व्यापारियों द्वारा दी जानी चाहिये, जो वास्तविक कार्य कर रहे हो, निर्माता हो अथवा संबंधित सामग्री के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित वितरक हो या वास्तव में उस कार्य को करने वाला हो।
5. आपूर्ति किये जाने वाला माल निर्धारित विवरणों स्पेसिफिकेशन के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सेम्पल से मिलता हुआ सर्वोत्तम किस्म का होगा, अन्यथा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
7. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
8. सफल बोलीदाता फर्म का अनुबंध सम्पादित करने से पूर्व स्थानीय स्तर पर कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला होना अनिवार्य है। बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला का पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
9. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसको बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
10. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसके लिए कोई कार्टेज व अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
11. निविदा देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल वितरण करने के लिए बाध्य होगी।
12. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
13. निविदा में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।
14. निविदादाता को प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होगे जो कि अनुबंध का भाग होगा।

15. तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीकों से जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं, द्वारा “राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०” के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के रूप में समायोजित किया जावेगा।
16. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
17. राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा स्वप्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में डीडी या बिन्दु संख्या 15 में वर्णित किसी तरीके से जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
18. सफल बिडर को निर्धारित प्रपत्र में पन्द्रह दिवस में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई व्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पड़ेगा। क्रयकर्ता अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
19. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
20. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार कार्य करने में असफल हो जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति बोलीदाता फर्म से की जावेगी। मुद्रणालय अनुमोदित फर्म द्वारा आदेशित कार्य नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित मुद्रक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित फर्म के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय को अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा, तो वह उसकी बोली सम्पादन राशि में से पूरा किया जावेगा।

(2)

21. (1) सामग्री निश्चित किये गये स्थान पर अच्छी दशा में तथा पूर्ण मात्रा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की ओरी होने, आग, बाढ़ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।
- (2) अविवादित स्थिति में सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
- (3) बिडर या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने पर अयोग्यता माना जावेगा।
22. मुद्रणालय किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।
23. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिकी कर (वेट) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा के साथ आनलाईन करना होगा।
24. बिडर द्वारा संरक्षा को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार संरक्षा प्रशासन को होगा जिसकी कटौती निविदत्त फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी:-
- |   |      |
|---|------|
| (क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए:                                 | 2.5% |
| (ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए:       | 5%   |
| (ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए: | 7.5% |
| (घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए:                                | 10%  |
25. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार है:-

एस.आर प्रारूप – 11

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

### निविदादाता के हस्ताक्षर

26. निविदा से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील

(3)

प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

27. निविदा अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2018 तक लिये मान्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा, एवं मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
28. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
29. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं वैट अतिरिक्त देनी होगी।
30. निविदा स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
31. अनुबंधकर्ता बिडर को आयकर/बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
32. बिडर/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
33. मुद्रणालय के राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दर्शाये गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
34. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं किये जायें।
35. बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।
36. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
37. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्य सभी संगत प्रावधान लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर